न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 46/2021
विकास कुमार पुत्र स्व0 सत्यप्रकाश, जाति जाट, निवासी हेतमसर, तहसील व जिला झुंझुनूं राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, मण्डावा।

—रेस्पोडेन्ट

—

अपील बखिलाफ निर्णय नायब तहसीलदार मण्डावा, उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र, विकास, मु0न0 [illegible] अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट, निर्णय दिनांक 16.03.2021

—

उपस्थित:–

1. विकम दूलड, एडवोकेट – अपीलान्ट की ओरसे।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील नायब तहसीलदार मण्डावा के निर्णय दिनांक 16.03. [illegible] के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के पेश हुई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 [illegible] पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 [illegible] स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी की ओर से अपील इस प्रकार पेश है कि निर्णय अदालत मातहत दिनांक 16.03.2021 विरूद्ध कानून व पत्रावली है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से आबाद [illegible] अपीलार्थी के पूर्वज उक्त भूमि पर लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 के प्रभाव मे आने से पूर्व से आबाद है। अपीलार्थी के परदादा दीपाराम चौधरी को तत्कालीन ठिकाना डाबडी के ठाकुर साहब गोविन्द सिंह जी की [illegible] ग्राम हेतमसर के जोहड़ मे संवत् 2006 दिनांक 08.12.1949 को एक पट्टा रिहायशी हेतु जारी किया गया और उसी पट्टे के अनुकम में अपीलार्थी के दादा चन्द्राराम को उक्त भूमि पर काबिज होने के [illegible] गोचर भूमि, गैर मु0 जोहड़ मे 450 वर्गगज का पट्टा दिनांक 08.06.1971 को तहसीलदार महोदय, [illegible] की ओर से अस्सी रूपये का भुगतान प्राप्त कर जारी किया गया व दिनांक 27.09.1983 को पट्टा [illegible] 5 रूपये प्राप्त कर 264 वर्गगज का पट्टा तहसीलदार भू – अभिलेख झुंझुनूं द्वारा अपीलार्थी के पिता सत्यप्रकाश को वाके ग्राम हेतमसर मे भूमि किस्म जोहड का पट्टा जारी किया गया। इसलिए लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 का प्रभाव अपीलार्थी पर मुतलवी नही है। अपीलार्थी को लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के [illegible] बेदखल नही किया जा सकता है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 07.01.2021 को पटवारी हल्का को [illegible] जांच रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गई थी। दौराने तहरीर करने जांच रिपोर्ट अपीलार्थी पटवारी हल्का के समक्ष प्रस्तुत हुआ व उपरोक्त जारी पट्टों की भूमि पर अपने काबिज होने के [illegible] दस्तावेज (पट्टा ठिकाना डाबडी, पट्टा तहसीलदार झुंझुनूं सन् 1971 व पट्टा तहसीलदार झुंझुनूं [illegible] 1983 प्रस्तुत किये गये परन्तु पटवारी हल्का द्वारा उनको दौराने जांच शामिल पत्रावली नही किया गया [illegible] अदालत मातहत मे भी उक्त दस्तावेजों को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर अपना पक्ष रखा गया [illegible] अदालत मातहत द्वारा इस पर गौर नही कर नजरअंदाज किया जाकर दिनांक 16.03.2021 को निर्णय [illegible] किया गया। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय [illegible] पारित निर्णय दिनांक 16.03.2021 के आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर झुंझुनूं

(A4/2)

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी उक्त भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से आबाद है। अपीलार्थी के पूर्वज उक्त भूमि पर लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 के प्रभाव मे आने से पूर्व से आबाद है। अपीलार्थी के परदादा दीपाराम चौधरी को तत्कालीन ठिकाना डाबडी के ठाकुर साहब गोविन्द सिंह जी की ओर से ग्राम हेतमसर के जोहड़ मे संवत् 2006 दिनांक 08.12.1949 को एक पट्टा रिहायशी हेतु जारी किया गया और उसी पट्टे के अनुक्रम मे अपीलार्थी के दादा चन्द्राराम को उक्त भूमि पर काबिज होने के कारण गौचर भूमि, गैर मु0 जोहड़ मे 450 वर्गगज का पट्टा दिनांक 08.06.1971 को तहसीलदार महोदय, झुंझुनूं की ओर से अस्सी रूपये का भुगतान प्राप्त कर जारी किया गया व दिनांक 27.09.1983 को पट्टा फीस 5 रूपये प्राप्त कर 264 वर्गगज का पट्टा तहसीलदार भू–अभिलेख झुंझुनूं द्वारा अपीलार्थी के पिता सत्यप्रकाश को वाके ग्राम हेतमसर मे भूमि किस्म जोहड़ का पट्टा जारी किया गया। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 07.01.2021 को पटवारी हल्का को पुनः जांच रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गई थी। परन्तु अदालत मातहत द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त हुए बिना ही दिनांक 16.03.2021 को निर्णय पारित कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2021 के आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि की किस्म गैरमुमकीन चारागाह है जो राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक नही है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को ग्राम हेतमसर स्थित भूमि खसरा नम्बर 395 रकबा 2.63 हैक्टर गैर मुमकीन चारागाह में से 0.06 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी माना है। इस संबंध में अपीलान्ट का मुख्य तर्क यह रहा है कि उक्त विवादित आराजी की बाबत अपीलान्ट के परदादा को तत्कालीन ठिकाना डाबड़ी के ठाकुर साहब गोविन्द सिंह जी की ओर से रिहायशी पट्टा 08.12.1949 जारी किया गया था। उक्त पट्टे के अनुक्रम में तहसीलदार झुंझुनू ने एक पट्टा 450 वर्गगज का दिनांक 08.06.1971 को तथा एक अन्य पट्टा 264 वर्गगज का दिनांक 27.09.1983 को जारी किया था, उक्त पट्टो की बाबत अदालत मातहत ने कोई जांच किये बगैर आदेश पारित किया है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से साफ जाहिर है कि अदालत मातहत ने प्रकरण में आदेश पारित करने से पूर्व उक्त पट्टो की बाबत किसी प्रकार की जांच नहीं की है। न्यायालय के दृष्टि में किसी प्रकरण निस्तारण उसके सभी पहलुओं की जांच के बाद किया जाना चाहिए। हम अपीलान्ट के तर्को से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2021 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत अपीलान्ट द्वारा बताये जा रहे पट्टो की जांच करते हुये तथा अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू

जिला कलक्टर झुंझुनूं 14/07/21